शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण/समयबद्ध

परिपत्र संख्या– 29 /मा0अनु0(3)/2019

प्रेषक,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष,
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 27 सितम्बर, 2019

अभी हाल ही में जिला कारागार, आगरा, बरेली, इटावा एवं गाजीपुर में बन्दियों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जिससे कारागारों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वाभाविक है। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा किए जाने पर यह पाया गया कि वर्ष 2017 में आत्महत्या की कुल 06 तथा वर्ष 2018 में कुल 12 घटनाएं घटित हुई हैं, जबकि वर्ष 2019 में अब तक कुल 15 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। अत्यन्त युवा बन्दी अवसाद, निराशा, आत्मग्लानि जैसे अनेक कारणों के चलते कारागार में आत्महत्या कर ले रहे हैं, जो किसी कारागार प्रशासन के लिए चिन्ताजनक और खेदजनक है। इससे स्पष्ट है कि आत्महत्याओं की रोकथाम हेतु अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी प्रयास नहीं किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर–654 में आत्महत्या की घटनाओं पर रोकथाम हेतु उपाय वर्णित है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या– 43जे0एल0/22–03–96–1/96, दिनांक 10.01.1996 तथा मुख्यालय के परिपत्र संख्या–25/मा0अनु0/2015, दिनांक 28.01.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश भी पूर्व में निर्गत किये गये हैं, किन्तु आत्महत्या की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि से यह तथ्य पुष्टित होता है कि कारागारों द्वारा परिपत्र में दिए गए दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

कारागारों में बंदियों को सुरक्षित रखने का दायित्व कारागार प्रशासन का है जिसमें कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/कारापाल एवं उप कारापाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भविष्य में बंदियों द्वारा आत्महत्या की घटनाओं की रोकथाम हेतु निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

(1) बन्दी के कारागार में प्रवेश के पश्चात् मुलाहिजा के समय उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि, सामाजिक परिवेश, उसकी पारिवारिक दशा, उसकी शारीरिक तथा मानसिक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर आत्महत्या की आशंका के सम्बन्ध में चिन्हीकरण की कार्यवाही की जाए।

(2) कारागार के नियमित भ्रमण के दौरान बन्दियों से वार्ता कर तथा विभिन्न श्रोतों से जानकारियॉ प्राप्त कर ऐसे बंदियों को चिन्हित किया जाए जो अवसाद से ग्रसित हों, असाध्य बीमारी से पीड़ित हों, सगे–सम्बन्धियों की हत्या में कारागार में निरूद्ध हों, जिनकी मुलाकात न आती हो, जमानत न होने तथा प्रभावी पैरवी न होने से चिन्तित हों, कारागार में दबंग बंदियों द्वारा उत्पीड़न से पीड़ित हों आदि।

(3) ऐसे बंदियों को चिन्हित कर उन्हें यथोचित बैरक अथवा विशेष सुरक्षा कक्ष में निरूद्ध किया जाए तथा अधीनस्थ कर्मियों को लिखित रूप से बन्दी पर सतत एवं सूक्ष्म निगरानी रखे जाने हेतु निर्देशित कर दिया जाए। ऐसे बंदियों की सुरक्षा हेतु विशेष रूप से दक्ष सिद्धदोष बन्दी अधिकारियों की भी ड्युटी लगाई जाए।

(4) कारागारों में हुई आत्महत्याओं के सम्बन्ध में कराए गए अध्ययन में यह पाया गया कि कारागारों में होने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं में 90 प्रतिशत से अधिक घटनाएं फॉसी लगाकर की गई हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि कारागारों में बंदियों द्वारा फॉसी लगाए जाने के सम्भावित भवनों/स्थलों का तत्काल चिन्हीकरण किया जाए तथा इन भवनों, शौचालयों, पेड़ों आदि में यथासम्भव आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन तत्काल करा लिया जाए जिससे बन्दियों को फॉसी लगाकर आत्महत्या करने का अवसर प्राप्त न हो सके।

(5) ऐसे चिन्हित बंदियों को किसी बैरक अथवा कोठरी में भेजे जाने से पूर्व गहन तलाशी कराई जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि बन्दी के पास कोई ऐसी वस्तु उपलब्ध न रहे जिससे बंदी द्वारा आत्महत्या की जा सके।

(6) आत्महत्या की सम्भावना वाले बंदियों की समय–समय पर कारागार अधिकारियों द्वारा काउन्सलिंग की जाए तथा कारागारों पर आने वाले अधिवक्ताओं, आध्यात्मिक उपदेशकों तथा प्रतिष्ठित स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी उनकी काउन्सलिंग कराकर उन्हें सकारात्मक जीवन जीने हेतु प्रेरित कराया जाए।

(7) कारागारों में निरूद्ध बंदियों में से ही कुछ बंदियों को काउन्सलर के रूप में विकसित किया जाए तथा आत्महत्या की सम्भावना वाले बंदियों का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाए।

(8) कारागारों में स्थापित सी0सी0टी0वी0 सर्विलान्स के माध्यम से ऐसे चिन्हित बंदियों की गतिविधियों की गहन समीक्षा भी दिन–प्रतिदिन कराई जाए तथा उनकी गतिविधियों की जानकारी उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(9) आत्महत्या की घटना घटित होने के उपरान्त सम्बन्धित कारागार अधीक्षक द्वारा तत्काल टेलीफोन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक कारागार तथा महानिरीक्षक कारागार को दी जाए। घटना की संक्षिप्त आख्या मुख्यालय को तत्काल उसी दिन तथा प्रारम्भिक जॉच रिपोर्ट 72 घण्टे के अन्दर सभी सम्बन्धित को प्रेषित की जाए।

समस्त कारागार अधिकारी इस सम्बन्ध में शासन एवं मुख्यालय द्वारा निर्गत उपरोक्त आदेशों का स्वंय तथा अपने अधीनस्थों से कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। भविष्य में कारागार में आत्महत्या की घटना घटित होने पर उसे गम्भीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27/9/19

(आनन्द कुमार)
पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश।